न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 186 / 2021

वाद पत्र अं0 धारा 53 आर.टी.ए.

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सहदेव जाति विश्नोई निवासी वार्ड नं. 35 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

–वादी

बनाम्

1. बलवन्त सिहं पुत्र बाबू सिहं जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 13 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानढ(राज.)
2. गुरचरण सिहं पुत्र बाबू सिहं जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 13 जगजीत सिंह के मकान के पास संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानढ(राज.)
3. मनीराम पुत्र श्री महीराम जाति बिश्नोई निवासी केजी कॉम्पलैक्स रोड कॉम्पलैक्स भगवानपुरा बस्ती रानी बाजार बीकानेर(राज.)
4. शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री सहदेव जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नं. 16 नजदीक श्री बिल्डर्स संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. वन्दना पुत्री श्री सहदेव पत्नी ओम प्रकाश मान्झू जाति बिश्नोई निवासी 593,पी.एल.ए. जिम खन्ना क्लब नजदीक ताउ देवी लाल पार्ट हिसार तहसील व जिला हिसार (हरि.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री आत्मा सिंह गोदारा – वकील वादी
2. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू – वकील प्रति.सं. 1,2
3. श्री कपिल गोदारा – वकील प्रति.सं. 4,5

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

वादी रविन्द्र कुमार ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता तक्सीम के तहत अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया जिसमें कथन किया है कि वादी के नाम चक नं. 1 एम.जे.डी. के खाता सं. 24 / 25 जं.सं. 2070–2073 खाता बलवंत सिहं वगैरा मे 0.485 हैक्ट. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। उक्त भुमि का वादी व प्रतिवादीगण ने अच्छी–मंदी अनुसार घरूविभाजन काफी समय पूर्व कर लिया था व उसी अनुसार अपनी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। मुताबिक घरू विभाजन वादी अपना खाता अलग कायम करवाना चाहते है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन, रजिस्टर्ड एडी, समाचार पत्र से तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध हाजिर नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यावाही के आदेश किये गयें। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी सं. 1 व 2 के काउन्टर क्लेम से वादी को कोई आपति नहीं हैं। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात नही की गई। प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने वादी के साथ राजनीमा होने जाहिर कर राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया गया। वादी व प्रतिवादीगण की घरू विभाजन अनुसार कब्जा काश्त निम्न प्रकार है।

वादी का हिस्सा
चक नं. 1 एम.जे.डी. के खाता सं. 24/25

पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
181/176	6	4,7,14,17,24/0.097है.प्रं,(पश्चिम दिशा से किला नं. 3,8,13,18,23 से चिपती) कुल 0.485है.

प्रतिवादी सं. 1 (0.380है.) व प्रतिवादी सं. 2 (0.885है.) का हिस्सा

चक 1 एम.जे.डी. खाता सं. 24/25

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
181/175	1	21/0.253 = 0.253है.
181/176	6	1,2/.228प्र. 9,10/.253प्र गै.मु. .050

प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा

किला नं. 25/1 कुल 0.228है.

प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा

चक 1 एमजेडी के खाता सं. 33/24

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
181/176	6	4,7,14,17,24/0.097है.प्र. (वादी और प्रतिवादी सं. 5 के मध्य में) कुल 0.484है.

प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा
चक 1 एम.जे.डी. के खाता सं. 24/25

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
181/176	6	4,7,14,17,24/0.059है.प्र. (किला नं. 5,6,15,16,25 से चिपता) कुल 0.298है.

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

काउन्टर क्लेम व राजीनामा पर गौर किया गया। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा सहमति से बंटवारा किया गया है। पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवादी सं. 3 का कब्जा किला नं. 25/1 पर ही है। इसलिए धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवारा स्वीकार किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त खाता उपरोक्त कब्जाकाश्त के मुताबिक तकसीम किया जाता है। तहसीलदार आदेश के मुताबिक अमल दरामद करें। रहन यथावत दर्ज रहेगा। प्रश्नगत जमीन के संबंध में प्रकरण सं. 37/21 में जारी किया गया स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है।

आदेश मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 26.12.2023 को जारी किया गया। अलग से डिक्री जारी करने की जरूरत नहीं है। आदेश को ही डिक्री समझा जाएगा।

(प्रभजोत सिंह गिल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया